



# कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय खेड़ी चौपटा (हिसार)

कार्यालय आदेश

दिनांक : 05/02/2026

महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि यदि कोई भी विद्यार्थी लगातार छः दिन किसी कक्षा में अनुपस्थित रहता/रहती है तो संबन्धित विद्यार्थी का नाम काट दिया जाएगा। विद्यार्थी को नाम कटने के 15 दिन के अंदर अपना नाम महाविद्यालय में दोबारा से लिखवाना होगा अन्यथा 15 दिन के बाद विद्यार्थी का नाम पुनः लिखे जाने पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा।



  
05/02/26  
प्राचार्य  
Principal  
GOVT. COLLEGE  
Kheri Chopta (Hisar)